न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00023

दिनेश ओझा आयु 60 साल आत्मज बंशी लाल जाति ब्राह्मण निवासी अशोक नगर (बया नया गॉव) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. लालचन्द मेघवाल आयु 61 वर्ष आत्मज भैरू जाति मेघवाल निवासी बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति हिण्डोली जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्य सिंचाई परियोजना) क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम, 1968 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 1618 (4090/1618) रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 लालचन्द को दिनांक 25.06.1976 को आवंटित की गई । उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का वक्त आवंटन की दिनांक से कभी भी कब्जा नहीं रहा है । आवंटी द्वारा अवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । आवंटी ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया जो निरस्त

किये जाने योग्य है । उक्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व विधिवत रूप से कोई विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई और न ही कोई उद्घोषणा जारी की गई है ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1976 निररस्त फरमाया जावे ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थन पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । आवंटित आराजी पर आवंटी को दखलनामा नहीं दिया है बल्कि फर्जी दखलनामा बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने क्षेत्राधिकार पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम, 1968 के तहत पारित किया है । नियम 17 (ए) के तहत अधिनियम में क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को है और राज्य सरकार उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.11.2000 के अनुसार इन नियमों के तहत जिला कलकटर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बून्दी को अधिकृत किया था और इसके उपरान्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2000 के अनुसार सहायक कलक्टर हिण्डोली की शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को दी गई । इस प्रकार 1968 के नियमों के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर का है और वो उपखण्ड अधिकारी को मिली शक्तियॉ जिला कलक्टर की हैं जो उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सहायक कलक्टर एवं बाद में उपखण्ड अधिकारी को Delegate की गई हैं। इस कारण यह आदेश जिला कलक्टर के द्वारा पारित किया गया माना जावेगा जिसकी अपील का श्रवणाधिकार संभागीय आयुक्त महोदय को है ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को सन् 1976 में विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटित की गई है और कब्जा दिया गया था ।

अपीलान्ट ने धारा 183 (बी) के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से बचने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अपीलान्ट ने सन् 2016 में अनाधिकृत कब्जा कर लिया है जिसके तहत 183 (बी) में कार्यवाही तहसील हिण्डोली के समक्ष विचाराधीन है । सन् 1976 के आवंटन के खिलाफ सन् 2017 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो अवधि बाधित है । बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ रेस्पोडेन्ट खातेदार बन चुके हैं । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मयंक पिता दिनेश ओझा, आलोक पिता दिनेश ओझा, दिनेश ओझा आत्मज बंशीलाल का कब्जा बताया गया है जबकि आलोक ओझा भारतीय सेना में नेवी केप्टन हैं । मयंक ओझा बून्दी में नौकरी करते हैं और दिनेश ओझा कृषि पर्यवेषक गुढाबांध पर नियुक्त हैं और दिनेश ओझा की पत्नी अध्यापिका है । पटवारी हल्का से सांठ–गांठ कर रिपोर्ट बनवायी है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । 17 (ए) के तहत जिला कलक्टर की शक्तियॉ सहायक कलक्टर हिण्डोली में निहित थी और सहायक कलक्टर हिण्डोली की शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी का पद सृजित हो जाने से उपखण्ड अधिकारी में निहित है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष में आरआरडी 2018 पेज 492, आरआरडी 2018 पेज 479, आरआरटी 2017 (2) पेज 972 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम, 1968 के तहत छल से, मिथ्या कथन से आवंटन कराने या नियमों के विरूद्ध आवंटन किये जाने अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में जिला कलक्टर को आवंटन निरस्त करने की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं और राज्य सरकार उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.11.2000 के अनुसार इन नियमों के तहत जिला कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बून्दी को अधिकृत किया था और इसके उपरान्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06. 2000 के अनुसार सहायक कलक्टर हिण्डोली की शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को दी गई । इस प्रकार 1968 के नियमों के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर का है और वो उपखण्ड अधिकारी को मिली शक्तियॉ जिला कलक्टर की हैं जो उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सहायक कलक्टर एवं बाद में उपखण्ड अधिकारी को (delegate) प्रत्योयोजित की गई हैं। ऐसी स्थिति में शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation of power) के फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश जिला कलक्टर के द्वारा पारित किया गया माना जावेगा जिसकी अपील का श्रवणाधिकार संभागीय आयुक्त महोदय को है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलान्ट को लौटाई जाती है ।

12. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा